कार्यवाही विवरण

माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में दिनांक **10.08.2015** को प्रातः 11.00 बजे **मेवात क्षेत्र** के माननीय विधायकगण एवं जिला प्रमुखों की बैठक ग्रामीण विकास विभाग के समिति कक्ष में आयोजित की गई ।

श्रीमान् शासन सचिव महोदय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा माननीय मंत्री महोदय एवं उपस्थित जन प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए बताया कि मेवात योजनान्तर्गत वर्ष 2014–15 से आदिनांक तक कुल 152 करोड़ रूपये की उपलब्ध राशि के विरूद्ध मात्र 39 करोड़ रूपये ही व्यय किये गये हैं । माननीय मंत्री महोदय द्वारा बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 की बजट घोषणा के अनुसार आगामी पाँच वर्षो में मेवात क्षेत्र के लिये 300 करोड़ रूपये की घोषणा की गई है, जिसको देखते हुए 39 करोड़ रूपये की प्रगति खेदजनक है । अतः माननीय मंत्री महोदय द्वारा उपस्थित विभागीय प्रतिनिधिगण को निर्देशित किया गया आवश्यक कार्यवाही करते हुए योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक शत–प्रतिशत लक्ष्य अर्जित किये जाये। इस हेतु उपस्थित जनप्रतिनिधिगण से भी आवश्यक सहयोग देने बाबत, माननीय मंत्री महोदय द्वारा अपील की गई।

बैठक में उपस्थित माननीय विधायकों द्वारा यह मांग की गई कि मेवात योजनान्तर्गत जिले की वार्षिक कार्य योजना में विधायकों की अनुशंषा के आधार पर कार्य स्वीकृत किये जावे । शासन सचिव महोदय द्वारा बताया गया कि मेवात योजना के नवीन दिशा–निर्देशों के बिन्दु संख्या 10.2 के अनुसार जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय क्षेत्रीय विकास समिति का गठन प्रस्तावित है जिसमें माननीय सांसद महोदय, विधायक, जिला प्रमुख एवं प्रधान शामिल है । माननीय सांसद महोदय के मनोनयन हेतु नियमानुसार स्वीकृति चाही गई है, जो आदिनांक तक अप्राप्त है। स्वीकृति प्राप्त होते ही क्षेत्रीय विकास समिति के गठन के आदेश जारी कर दिये जायेंगे ।

उपस्थित विधायकगणों द्वारा जिला स्तरीय क्षेत्रीय विकास समिति में प्रधान को शामिल किये जाने पर आपत्ति प्रकट की गई एवं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन किया गया कि पूर्व वर्षो की परम्परा के अनुसार जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में ही, जिसमें माननीय सांसद, विधायक एवं जिला प्रमुख शामिल हो, मेवात वार्षिक कार्य योजना के प्रस्तावों का अनुमोदन किया जावे । मंत्री महोदय द्वारा बताया गया कि वर्तमान दिशा–निर्देश माननीय मुख्यमंत्री महोदया से अनुमोदित है । अतः उसमें संशोधन हेतु पत्रावली माननीय मुख्यमंत्री महोदया को प्रस्तुत कर दी जावेगी ।

अलवर जिले के उपस्थित विधायकगणों द्वारा यह आपत्ति की गई कि जिला परिषद द्वारा जिले को प्राप्त आवंटन की राशि रूपये 27 करोड़ के बारे में ही बताया गया जबकि जिले द्वारा 8 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राशि को शामिल करते हुए 35 करोड़ रूपये का प्लान राज्य स्तर को भिजवाया गया है, जिसे निरस्त किया जावे । जिला प्रमुख भरतपुर द्वारा जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा मनमाने तरीके से कार्यो की स्वीकृति के बारे में बताया गया।